न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–197 सन् 2019

रमिता सिंह वगैरह.....वादीगण।

बनाम

प्रभुनाथ सिंह.....प्रतिवादी।

दिनांक– 11.12.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.12.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी प्रभुनाथ सिंह अपने पांच पुत्र संजय सिंह, अजय सिंह, रणधीर सिंह, सुबोध सिंह एवं राधेश्याम सिंह को छोड़कर दिनांक 03.03.2023 को स्वर्गवास हो गए। प्रभुनाथ सिंह को कोई लड़की नहीं थी तथा उनकी पत्नी उनके जीवनकाल में ही मर गई है। न्यायहित में प्रतिवादी प्रभुनाथ सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी प्रभुनाथ सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी प्रभुनाथ सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 03.03.2023 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर मृत्यु हो गई है। वादी, प्रतिवादी प्रभुनाथ सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसाना उनके पांच पुत्र संजय सिंह, अजय सिंह, रणधीर सिंह, सुबोध सिंह एवं राधेश्याम सिंह को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.12.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।